

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर)

भागीरथ पुत्र रेवंतराम


बनाम

रेवंतराम पुत्र नवलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955

(मुकदमा नम्बर 166/2023)

(सन् 2023)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
18.07.2023	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरदास रामावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलग्न राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 01 प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बेचान करने पर उतारू है जिससे रोका नहीं गया तो प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 16.08.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम अनोपसिंहनगर पटवार हल्का डेरिया तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 61 एवं 63 की भूमि पर अप्रार्थीगण विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त खसरों में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरुद्ध नहीं करें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 16.08.2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">amin उपखण्ड अधिकारी बालेसर</p>	
16/8/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीटारी अधिकारी राजकीय कार्य/वुनाव कार्यवाही के लिए पर है। पत्रावली इलखा डॉकर रिपोर्ट... 18/9/23... को पेश हों। पूर्व आदेशानुसार पेश है।</p>	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कें तामिल में जारी हुई
29/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई तथा अधिलक्षक अर्ज सामान्य परिशर के लिये आदेश लगाई गई आ जही। अतः पत्रावली मयम जारी मयम पर के आदेश की जालि हुई। पत्रावली गवखर से अतः एकरे वाबखर पर है।</p> <p style="text-align: right;">२५ उपखण्ड अधिकारी, बालेसर</p>	